

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-31/2015- 802

दिनांक : 04.06.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची /
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण एवं विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना तथा सकल से सीसल एवं बुलबिल वृक्षरोपण का तुल्नात्मक अध्ययन का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 36.148 लाख (छत्तीस लाख चौदह हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबजट-50 / 2015-08 / व0प0 दिनांक 12.06.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट- 50 / 2015-17 / आ0 व0प0 दिनांक 23.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग, उप शीर्ष- 01 "वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 रु0 36.148 लाख (छत्तीस लाख चौदह हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601005010103	35.270
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601005010323	0.878
कुल :-		36.148

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक-1** (क) एवं (ख) पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 (क) से (ग) पर द्रष्टव्य है।

11/18

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19P240601005010103 तथा पी0 19P240601005010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्द संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0—300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condidae Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बौस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा, कल्पतरु आदि का टिशू कल्चर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विष्वकासभाजन,
John Mathew
प्रभावी

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condidate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा, कल्पतरु आदि का टिशू कल्वर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015- 802 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
SC झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condidate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा, कल्पतरु आदि का टिशू कल्वर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015- 802 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015- 802 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

Y. N. Manohar
14/07/2016

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :— वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17 (समापन कार्य)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	vi	vii	viii
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेश्पुर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण, (10 हेऽ)	10.557	0.273	10.830
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण (10 हेऽ)	10.557	0.273	10.830
3	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, गम्हरिया में साल पौधों का द्रायल वनरोपण (10 हेऽ)	10.557	0.273	10.830
योग :—		31.671	0.819	32.490

अनुलग्नक-1 (ख)


वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेशन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :—

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :— वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	vi	vii	viii
1	विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का अध्ययन (24 हेऽ)	2.764	0.010	2.774
2	सकर से सीसल वृक्षारोपण एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रस्ताव	0.835	0.049	0.884
योग :—		3.599	0.059	3.658
सकल योग :—		35.270	0.878	36.148

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-50 / 2015- 08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 12.06.2015


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
SC झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नानिकत दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-31C/2015/802

दिनांक -

04-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601005010103	28968	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	3,167,100.00 रुपये इकतीस लाख सठसठ हजार एक सं
2	P 19 240601005010103	28969	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	359,900.00 रुपये तीन लाख उनसठ हजार नी सं
3	P 19 240601005010323	28977	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	81,900.00 रुपये इक्कासी हजार नी सं
				3,608,900.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छहतीस लाख आठ हजार नी सं

(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)
S/ ADDL.PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601005010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 005 - बन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 - बन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं मानवी	28979	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	5,900.00 रुपये चाँच हजार नौ सौ



योग:	5,900.00
क्रमिक योग:	3,614,800.00


रुपये छत्तीस लाख चौदह हजार आठ सौ

Y.K.Singh Chauhan
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

अनुलग्नक-3 (क)

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक विभिन्न Model द्वारा बौंस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का अध्ययन हेतु कार्य दर तालिका

इसके तहत 12 हेक्टेएर के 4 प्लॉटों में प्रति प्लॉट 3 हेक्टेएर बौंट कर 1 प्लॉट को कट्टोल प्लॉट रखा जायेगा जिसमें कोई वन-वर्द्धन कार्य नहीं किया जायेगा। 3 प्लॉटों में नीचे दर्शाये गए आकृति से बखारों में बौंसों की कटाई कर बौंसों की सघनता (Congestion) को हटाया जायेगा एवं वन-वर्द्धन कार्य करायें जायेंगे तथा 3 वर्षों तक सभी प्लॉटों से करील, बौंस की संख्या, गोटाई, ऊँचाई आदि का डाटा संग्रहण किया जायेगा एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।



मजदूरी दर - 221.61 रु

दर पूर्व स्वीकृत प्रति हेक्टेएर पर - 12 हेक्टेएर के लिए

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस (प्रति हेक्टेएर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	आम्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 (द्वितीय वर्ष)						
1	यनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) 12 हेक्टेएर के लिए	24	5318.64	0.00	5318.64	
2	बखारों पर मिटटी चढ़ाना 9 हेक्टेएर के लिए	90	19944.90	0.00	19944.90	
3	बखारों की नब्बरिंग, पैटिंग इत्यादि 12 हेक्टेएर के लिए	60	13296.60	500.00	13796.60	
4	बखारों में डाटा संकलन 12 हेक्टेएर के लिए	60	13296.60	0.00	13296.60	
5	सुरक्षा 12 हेक्टेएर के लिए	360	79779.60	0.00	79779.60	
	कुल	594	131636.34	500.00	132136.34	
6	विविध एवं आकस्मिक व्यय-रिपोर्ट मुद्रण स्टेशनरी, छायांकन इत्यादि (5%)	0	6581.82	25.00	6606.82	
	सकल योग:-	594	138218.16	525.00	138743.16	

H. Hanuman
अपर प्रधान मुख्यमन्त्री सरकार, विकास,
SC झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-3 (ख)

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक सकर से सीसल वृक्षारोपण एवं बुलबिल
वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन हेतु कार्य दर तालिका

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बुलबिल से सीसल वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत क्षेत्र में से (01) एक हेतु धेरान कर एवं इसी प्लोट से सटा हुआ एक (01) हेतु में सकर पौधों से पौधारोपण कर तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा एवं यह ज्ञात किया जायेगा कि दोनों वृक्षारोपण एक-एक हेतु के पौधों का वृद्धि एवं विकास, पत्तों की लम्बाई, चौड़ाई, संख्या इत्यादि में क्या अन्तर है। डाटा संग्रहण हेतु एक साथ 2 हेतु की राशि सकर वृक्षारोपण के प्रस्ताव में डाला गया है।

रकवा - 1 हेतु पौधों की सं- 6150 पौधों की दूरी - 2 मी 0 x 2 मी 0
गढ़ा धेरान - 5 चेन प्रति हेतु मजदूरी दर ₹ 0 - 187.43

कार्य स्थल- साबानो, थाना- बालुमाथ 124, प्लोट नं- 1246, प्रखण्ड- लातेहार, जिला- लातेहार, प्रक्षेत्र- लातेहार सीसल प्रक्षेत्र। (अक्षांश दिशान्तर)- N23° 40' 202", E-084° 34' 0289"

दर पूर्व स्वीकृत प्रति हेतु के आधार पर

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	मानव दिवस प्रति हेतु	मजदूरी ₹ 0 में	सामग्री ₹ 0 में	कुल व्यय ₹ 0 में
i	ii	iii	iv	v	vi
(क) वित्तीय वर्ष 2016-17 (द्वितीय वर्ष)					
1	पौधाशाला कार्य आंशिक रात्रि प्रहरी सहित	57	12631.77	0.00	12631.77
2	वृक्षारोपण	145	32133.45	0.00	32133.45
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	145	32133.45	0.00	32133.45
4	सुरक्षा कार्य	8	1772.88	0.00	1772.88
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	0	0.00	4133.00	4133.00
6	ट्रैच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपण	2	443.22	0.00	443.22
7	पत्तों की लम्बाई, चौड़ाई, संख्या इत्यादि का डाटा संग्रहण 620 पौधा/ हेतु 10% रेन्डम सैम्पलिंग 2 हेतु	20	4432.20	0.00	4432.20
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	0.00	750.00	750.00
	योग :-	377	83546.97	4883.00	88429.97

Chandan
प्र० १५/२०१८
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-3 (ग)

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण का कार्य दर तालिका (10 हेऽ के लिए)

मजदूरी : रु 221.61 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	शोध पौधशाला से वनरोपण स्थल तक पौधों की ढुलाई।	300	66483.00	0.00	66483.00
2	वृक्षारोपण।	2800	620508.00	0.00	620508.00
3	तीन कोडनी-निकौनी,	560	124101.60	0.00	124101.60
4	पौधों में पानी पटाना।	560	124101.60	0.00	124101.60
5	दो मलविंग	200	44322.00	0.00	44322.00
6	ट्रैक के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपण	20	4432.20	0.00	4432.20
7	पौधों की सुरक्षा।	274	60721.14	0.00	60721.14
8	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	22790.00	22790.00
9	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	50	11080.50	3000.00	14080.50
10	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	1500.00	1500.00
	योग :-	4764	1055750.04	27290.00	1083040.04

*Channanam
20/07/2016*
अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची